संख्या 21011/1/2005-स्था.(क)(भाग-III)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

* * *

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक : 2/4/2012

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- केन्द्रीय सिविल सेवाओं/पदों के सेवानिवृत्त अधिकारियों को एसीआर/एपीएआर की प्रतिलिपियां मुहैया कराना ।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 51/5/72-स्था.(क) दिनांक 20.5.1972 में उल्लिखित अनुदेशों के अनुसार अधिकारियों से संबंधित एसीआर उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख से 5 वर्ष के बाद नष्ट कर दिए जाएं । रिपोर्टिंग वर्ष 2008-09 से अनुसरण किए गए नए नियमों में यह प्रावधान है कि समग्र ग्रेडिंग सहित एपीएआर की सम्पूर्ण विषय-सामग्री संबंधित अधिकारी को सूचनार्थ/सक्षम प्राधिकारी को अभ्यावेदन, यदि कोई हो, करने हेतु भेजी जाएगी ।

2. संबंधित अधिकारी को सेवा से उसकी सेवानिवृत्ति के उपरान्त एसीआर डोजियर सुपुर्द करने के प्रश्न पर इस विभाग में विचार किया गया है । यह निर्णय लिया गया है कि एसीआर/एपीएआर के दो वर्ष की प्रतिधारण अवधि के बाद यदि संबंधित सेवानिवृत्त अधिकारी से इस बाबत विशिष्ट लिखित अनुरोध प्राप्त होता है, तो उसे एसीआर डोजियर मुहैया कराया जाए । सामान्य प्रतिधारण अवधि पूर्ण होने पर यदि कोई एसीआर डोजियर नष्ट किया जाता है, तो संबंधित अनुभाग द्वारा यह प्रमाणित किया जाएगा कि एसीआर डोजियर सुपुर्द करने बाबत कोई भी अनुरोध उस सेवानिवृत्त अधिकारी से प्राप्त नहीं हुआ है । तथापि, किसी अधिकारी की सेवानिवृत्ति के समय, उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही को अंतिम रूप देना लम्बित था तो उक्त दो वर्ष की अवधि, अनुशासनिक कार्यवाही में अंतिम आदेशों के जारी होने की तारीख से गिनी जाएगी ।

(प्रेमचन्द)

अवर सचिव, भारत सरकार

<u>भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग</u>

<u>सभी संवर्ग प्राधिकरण</u>

S/DOPT/OM

प्रतिलिपि -

1. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ।
2. प्रधान मंत्री कार्यालय, नई दिल्ली ।
3. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली ।
4. राज्यसभा सचिवालय ।
5. लोक सभा सचिवालय ।
6. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली ।
7. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित -

(क) कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी संबद्ध कार्यालय ।

(ख) स्थापना अधिकारी तथा सचिव, ए.सी.सी. (10 प्रतियाँ)

(ग) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सभी अधिकारी तथा अनुभाग ।

(घ) एन.आई.सी. (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग), इस कार्यालय ज्ञापन को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट www.persmin.nic.in पर कार्यालय ज्ञापन और आदेश(स्थापना) - एसीआर के तहत डालने के लिए ।

S/DOPT/OM